

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) / (ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 151 वर्ष 2023

आवेदक-श्री सोहन महतो
ग्राम -कंचनपुर,
थाना -नावाडीह, जिला-बोकारो

क्रेता-श्री गोपाल महतो
ग्राम-कंचनपुर
थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो

आदेश की
क्र० सं० एवं
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख
साथ।

03

आदेश

यह वाद आवेदक श्री सोहन महतो पिता-स्व० रतन महतो निवास ग्राम-कंचनपुर, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
कंचनपुर	95	03	168	1.30 ए०	0.43 ए०	टांड दो

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो0 2,75,000/रू0-(दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये में क्रेता श्री गोपाल महतो पिता स्व0 जगु महतो निवास ग्राम-कंचनपुर, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1402/रा0, दिनांक 16.12.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, नावाडीह के पत्रांक:-32, दिनांक 15.02.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों जिला बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में दरशनी देवी के नाम से दर्ज है तथा पंजी-II के पृष्ठ सं० 10/1 में दरशनी देवी पति रतन महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध माता का है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में दरशनी देवी के नाम से दर्ज है तथा पंजी-II के पृष्ठ सं० 10/1 में दरशनी देवी पति रतन महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे बेटी की शादी हेतु बिक्री कर रहे हैं।

की शादी हेतु बिक्री कर रहे हैं।
 क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।
 मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हूँ:-

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- केवाला की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की

C. ITSC and
Luis
2/20/24

छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला से खरीदगी हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक श्री सोहन महतो पिता-स्व० रतन महतो निवास ग्राम-कंचनपुर, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द०सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
कंचनपुर, 95	03	168	1.30 ए०	0.43 ए०	नीज विपक्षी	परती गैरमजरूआ	नीज विपक्षी	नीज विपक्षी वाके
कुल				43 डी०	(तैंतालीस डिसमिल जमीन मात्र)			

मो० 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता श्री गोपाल महतो पिता स्व० जगु महतो निवास ग्राम-कंचनपुर, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।